भारत सरकार
प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054
Website: www.deptpub.gov.in
Email: acop-dep@nic.in (&) pub.dep@nic.in
TEL.: 2381 7823 / 9689 Fax: 2381 7846.

सं. 41/संगठन एवं पद्धति/2014

दिनांक: 11-8-2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- शहरी विकास मंत्रालय में प्रवेश सामग्री (इंडक्शन सामग्री) को नये प्रवेशकों के लिए अद्यतन करना ।

उपर्युक्त विषय पर शहरी विकास मंत्रालय के दिनांक 05-8-15 के कार्यालय ज्ञापन सं० ए-33025/04/2014-प्रशा०-I(भाग-II) के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि प्रकाशन विभाग के लिए प्रवेश सामग्री इस विभाग की वेबसाईट पर अद्यतन कर दी गई है । प्रवेश सामग्री की अद्यतन प्रति इसके साथ संलग्न है ।

संलग्न:- यथोपरि ।

(जी० डी० पाण्डेय)
सहा० नियंत्रक (प्रशासन)

सेवा में,

श्री एस० के० गुप्ता,
अवर सचिव (प्रशा०-I)
शहरी विकास मंत्रालय,
निर्माण भवन, नई दिल्ली

प्रकाशन विभाग

प्रकाशन विभाग एक सेवा विभाग है जिसकी संस्वीकृत कर्मचारियों की संख्या 333 है (वर्तमान नामावली पर 218) इस विभाग का नेतृत्व विभाग प्रमुख के रूप में प्रकाशन नियंत्रक द्वारा किया जाता है कि यह भारत सरकार की पुस्तकों का सबसे बड़ा निक्षेपाकार है जिसमें लगभग 20,000 शीर्षक हैं तथा यह विभाग इन प्रकाशनों का प्रकाशनाधिकार (कॉपीराइट) भी रखता है ।

2. इस विभाग के संपूर्ण भारत में राज्यों की राजधानी सहित 344 बिक्री अभिकर्ता (ऐजेन्ट) हैं । इसके अपने बिक्री पटल मुम्बई, कोलकाता, बैंगलोर तथा नई दिल्ली में भी हैं । यह विभाग इंडियन ट्रेड जर्नल तथा भारत के राजपत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराकर राजस्व की प्राप्ति भी करता है ।

3. प्रकाशन विभाग, शहरी विकास मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय है । इस विभाग का मुख्य कार्यालय सिविल लाइन्स, दिल्ली में है । इसके बिक्री पटल किताब, बाबा खड़ग सिंह मार्ग, नई दिल्ली, भारत सरकार बुक डिपो, 8, के० एस० राय रोड़, कोलकाता, बिक्री पटल, न्यू सी जी ओ कॉम्पलेक्स, न्यू मरीन लाईन्स, मुम्बई, बिक्री पटरल केन्द्रीय सदन, कोरामंगला, बैंगलोर, दिल्ली उच्च न्यायालय में है तथा मुख्य कार्यालय, सिविल लाईन्स, दिल्ली में है ।

4.
विभाग की मुख्य गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं:-

- भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों द्वारा प्रकाशित सरकारी प्रकाशनों तथा पत्रिकाओं का भण्डारण, बिक्री तथा वितरण
- भारत के राजपत्र का प्रकाशन
- विभिन्न विभागों / मंत्रालयों द्वारा दिए गए प्रकाशनों / पत्रिकाओं को प्रतीक चिन्ह देकर उन्हें सूचीबद्ध करना
- विभिन्न पत्रिकाओं जैसे इंडियन ट्रेड जर्नल तथा भारत का राजपत्र भाग 4 में विज्ञापनों की प्रविष्टि सुरक्षित करना
- आर्मी प्रकाशनों का संग्रहण करना तथा उनका रक्षा ईकाइयों में वितरण करना
- निजी / सरकारी ऐजेन्सियों तथा विभाग के बिक्री पटलों / बुक डिपो को प्रकाशनों की आपूर्ति करना तथा खातों का रखरखाव करना
- समय पर बिल बनाना तथा उनकी वसूली करना
- बिक्री प्रचार संबंधी कार्यवाही के लिए पुस्तक मेलों / प्रदर्शनियों में भाग लेना

5. प्रकाशन विभाग के पास विभाग के बारे में मूलभूत सूचनाएं जैसे कि क्रियाकलाप, नवीन आगम सूची, भण्डार में पुस्तकें, नाम परिवर्तन के लिए दिशा निर्देश, एजेन्सी देने के लिए दिशा

निर्देश, नागरिक चार्टर, **RFD**, अधिनियम 4(1) के अन्तर्गत सूचना का अधिकार की सूचना **CGRAMS** तथा भारत के राजपत्र अधिसूचनाओं को अपलोड करना इत्यादि के लिए **deptpub.gov.in** वेबसाइट है ।

6. वर्ष 1950 से 2002 की राजपत्र अधिसूचनाएं जो राष्ट्र के हित के लिए है, वह इस विभाग द्वारा केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय, नई दिल्ली से प्राप्त की गई है तथा इन अधिसूचनाओं को अब इस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है ताकि वह 1950 से अद्यतन समस्त डिजिटल संग्रह एक जगह सभी प्रयोजनों जैसे डाउनलोड करने के लिए जनसाधारण के लिए निशुल्क उपलब्ध हो तथा आगे सभी प्रकाशन, उनके प्रतीक चिन्ह तथा शीषर्कों सहित इस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किए जा चुके हैं । वर्ष 2003 से 2009 तक की अधिसूचनाएं इस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गई हैं तथा वर्ष 2010 से संबंधित भारत सरकार मुद्रणालयों, जहाँ से भारत का राजपत्र अधिसूचनाएं मुद्रित की जा रही है, द्वारा उत्तरदायित्व लिया जा रहा है ।

7. इसके अतिरिक्त सभी प्रकाशन भी उनके प्रतीक चिन्ह तथा शीषर्कों सहित इस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किए जा चुके हैं ।

8. इस विभाग के कम्प्यूटरीकरण का कार्य मुख्यत: निजी पार्टियों तथा वैयक्तिकों का भारत के राजपत्र/आई टी जे में विज्ञापन प्रकाशित करवाने की प्रक्रिया से है तथा विभाग में उपलब्ध प्रकाशनों/पत्रिकाओं का स्टाक प्रबन्धन का कार्य विचाराधीन है । इस विभाग की वेबसाइट का पुर्नविकास भी किया जा रहा है ।